

राजस्थान उच्च न्यायालय
जयपुर पीठ

डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 16269/2023

मैसर्स राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम, चोमू हाउस, पृथ्वीराज मार्ग,
सी-स्कीम, जयपुर, राजस्थान।

-----याचिकाकर्ता

बनाम

आयुक्त, सीजीएसटी, अलवर, ए ब्लॉक, सूर्य नगर, अलवर, राजस्थान
301001।

-----प्रतिवादी

याचिकाकर्ता(ओं) के लिए : श्री आर.बी. माथुर, वरिष्ठ
अधिवक्ता, श्री युग सिंह, श्री सिद्धार्थ
बापन्ना, श्री दिव्यांश माथुर, श्री
फलक माथुर और श्री वर्णित जैन द्वारा
सहायता प्राप्त

प्रतिवादी(ओं) के लिए : श्री अजय शुक्ला के साथ श्री राघव
शर्मा और श्री पुष्पेंद्र बडगोती

माननीय श्री न्यायमूर्ति अवनीश झिंगन

माननीय श्री न्यायमूर्ति आशुतोष कुमार

आदेश

12/07/2024

अवनीश झिंगन, जे (मौखिक):-

1. यह याचिका सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण (संक्षेप में 'न्यायाधिकरण') द्वारा पारित दिनांक 10.11.2021 और 14.07.2022 के उन आदेशों से व्यथित होकर दायर की गई है, जिनके द्वारा अपील की बहाली और सुधार के लिए आवेदन को खारिज कर दिया गया था।
2. संक्षेप में तथ्य यह है कि याचिकाकर्ता-निगम को सेवा कर अधिकारियों द्वारा यात्रियों के दुर्घटना दावों की क्षतिपूर्ति के लिए प्राप्त मुआवजे पर सेवा कर लगाने के लिए दिनांक 19.04.2018 का एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। कारण बताओ नोटिस का परिणाम दिनांक 17.01.2019 के आदेश के रूप में हुआ, जिसमें जुर्माने सहित 39,90,66,753/- रुपये की मांग उत्पन्न हुई।
3. इस आदेश से व्यथित होकर, याचिकाकर्ता ने रिट याचिका दायर की। रिट याचिका को **डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 603/2019 (राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम बनाम भारत संघ)** और अन्य संबद्ध मामलों में पारित दिनांक 23.07.2019 के आदेश द्वारा निस्तारित किया गया। इस आदेश को दिनांक 29.11.2019 के आदेश द्वारा संशोधित किया गया, जिसमें न्यायाधिकरण को गुण-दोष के आधार पर अपील का निर्णय करने का निर्देश दिया गया।
4. न्यायाधिकरण के समक्ष याचिकाकर्ता की अपील पूर्व-जमा शर्त का पालन न करने के कारण दिनांक 14.02.2020 को खारिज कर दी गई। अपील के खारिज होने के खिलाफ याचिकाकर्ता द्वारा दायर **डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 9877/2020 (मैसर्स राजस्थान राज्य सड़क परिवहन**

निगम बनाम भारत संघ और अन्य) को दिनांक 21.01.2021 को इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि पूर्व-जमा शर्त का पालन नहीं किया गया था। याचिकाकर्ता द्वारा दायर पुनर्विचार याचिका दिनांक 18.02.2021 को खारिज कर दी गई। याचिकाकर्ता ने दिनांक 10.11.2021 को न्यायाधिकरण के समक्ष अपील की बहाली के लिए एक आवेदन दायर किया, जिसमें कहा गया कि पूर्व-जमा कर दिया गया है। आवेदन दिनांक 10.11.2021 को खारिज कर दिया गया। दिनांक 10.11.2021 के आदेश को सुधारने के लिए दिनांक 14.07.2022 को दायर सुधार आवेदन को भी खारिज कर दिया गया। अतः, यह वर्तमान याचिका।

5. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने निवेदन किया कि याचिकाकर्ता एक निगम है और संचार में कमी और गलत सलाह के कारण, पूर्व-जमा शर्त का पालन करने में देरी हुई। आगे यह तर्क दिया गया कि अन्य वर्षों से संबंधित अपीलें न्यायाधिकरण के समक्ष लंबित हैं। प्रार्थना यह है कि पूर्व-जमा की शर्त पूरी कर दी गई है और याचिकाकर्ता इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तारीख से चार सप्ताह के भीतर अपील में यदि कोई खामियां हैं, तो उन्हें दूर करने का वचन देता है।

6. प्रतिवादी के विद्वान वकील ने आक्षेपित आदेश का बचाव करते हुए निवेदन किया कि याचिकाकर्ता को पर्याप्त अवसर दिए गए थे, फिर भी मामले में जानबूझकर देरी की गई।

7. यह देखते हुए कि पूर्व-जमा शर्त का अब पालन कर दिया गया है और संबंधित मामले न्यायाधिकरण के समक्ष विचाराधीन हैं, दिनांक 10.11.2021 और 14.07.2022 के आक्षेपित आदेशों को रद्द किया जाता है। मामले को गुण-दोष पर निर्णय के लिए न्यायाधिकरण को वापस भेजा

जाता है, इस शर्त के अधीन कि याचिकाकर्ता इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तारीख से चार सप्ताह के भीतर अपील में यदि कोई खामियां हैं, तो उन्हें दूर करेगा।

8. याचिका तदनुसार निस्तारित की जाती है।

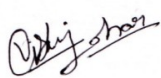
(आशुतोष कुमार), जे

(अवनीश झिंगन), जे

मोनिका/आरजू/63

क्या रिपोर्ट करने योग्य है: हाँ

अस्वीकरण:- स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय केवल वादियों के अपनी भाषा में लाभ के लिए हैं तथा इनका किसी अन्य उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता। निर्णय का अंग्रेजी संस्करण सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए प्रामाणिक होगा और इसे लागू करने में प्राथमिकता दी जाएगी।



एडवोकेट विष्णु जांगिड़